न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल
नामान्तरण अपील वाद सं0–05/2012–13
मतिउर शेख वगै0
बनाम
अब्दूल कादिर

आदेश

यह नामान्तरण अपील वाद आवेदन आवेदक मतिउर शेख, पे0–स्व0 अजीरुद्दीन शेख, सा0–पूर्वी उधवा, थाना–राधानगर, जिला–साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, उधवा के नामान्तरण वाद संख्या 807/2004–05 में दिनांक 05.03.2005 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। साथ ही कालक्षन्ति आवेदन भी दाखिल की गई है। जिसे स्वीकृत कर दिनांक 12.04.2012 को वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। विपक्षी से नोटिस निर्गत कर कारणपृच्छा की मांग की गई है तथा अंचल अधिकारी, उधवा से इस कार्यालय के ज्ञापांक 14/डी0बी0 दिनांक 28.04.2012 के द्वारा मूल अभिलेख की मांग की गई है।

इस नामान्तरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है:–

मौजा	तौजी न0	जमाबंदी न0	रकवा
पियारपुर	232	268	01–02–08 धूर

अपीलार्थी उपस्थित। उत्तरवादी अनुपस्थित। फलस्वरुप अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि प्रश्नगत भूमि मौजा पियारपुर दियरा जमाबंदी न0 268 रकवा 04–08–15 धूर जमीन खतियान में बडा बुधु शेख पिता जाहिद शेख के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत बडा बुधु शेख के मरणोपरांत उनके वारिसान के पूर्ण दखल कब्जा में है। बडा बुधु शेख की वंशावली निम्न प्रकार है:–

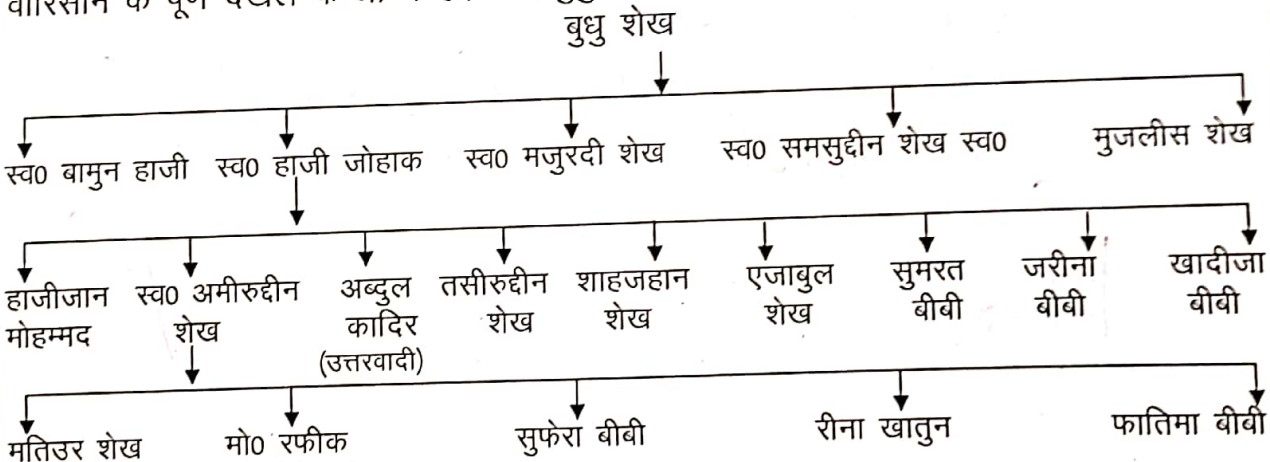

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि वंशावली के अनुसार बडा बुधु शेख को मौजा–पियारपुर के जमाबंदी न0 268 के रकवा 06 बीघा जमीन मौखिक रुप से उनके पाचों पुत्रगणों के बीच 01 बीघा 04 कट्ठा करके बंटवारा कर प्राप्त किया गया। इस प्रकार विपक्षी के पिता हाजी जोहाक अली के हिस्से में भी रकवा 01 बीघा 04 कट्ठा जमीन प्राप्त हुआ। पुनः जोहाक अली के हिस्से की 01 बीघा 04 कट्ठा जमीन उनके छः पुत्रों में विभाजित कर सभी हिस्सेदार को 04–04 कट्ठा जमीन प्राप्त हुआ। हाजी जोहक अली के पुत्र अमीरुद्दीन शेख की मृत्यु उपरांत उनके पुत्रगण को 04 कट्ठा अपने पैतुक जमीन का हकदार हुए। परन्तु उत्तरवादी

Scanned with CamScanner

कादिर शेख के द्वारा हाजी जोहाक अली के चार पुत्र यथा जान मोहम्मद, तजिरुद्दीन शेख, शाहजहान शेख एवं एजाबुल शेख से रकबा 01 बीघा 02 कट्ठा 08 धूर जमीन बिक्री केवाला अपने नाम कराते है, जो अवैध एवं गैर कानुनी है। जबकि उक्त चारो विक्रेता को मात्र अपने अंश से रकबा 16 कट्ठा जमीन ही बनता है। इस प्रकार उत्तरवादी द्वारा अपीलकर्त्ता के अंश का भी जमीन बेईमानी व छल–कपट से अपने नाम से केवाला कराया गया है एवं तत्पश्चात चोरी छिपे उत्तरवादी के तरफ से नामान्तरण कराया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा सही ढंग से इसकी जाँच नहीं की गई एवं गलत जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी महोदय द्वारा नामान्तरण उत्तरवादी के पक्ष में की गई है, जो निरस्त करने योग्य है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, उधवा के नामान्तरण अपील वाद संख्या 807/2004–05 में दिनांक 05.03.2005 को पारित आदेश को अपास्त (Set–a-side) करने का अनुरोध किये है।

आज विपक्षी अनुपस्थित है। साथ ही उनके द्वारा अपने समर्थन में किसी भी प्रकार का लिखित बहस या अन्य कागजात न्यायालय को समर्पित नही किया गया है।

अंचल अधिकारी, उधवा से मूल अभिलेख प्राप्त। मौजा के हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि उपरोक्त जमीन का मिलान पंजी–II से किया गया जो सही पाया। विक्रेता जमाबंदी रैयत के पोतागण है। जो अपने दादा एवं पिता के मरणोपरांत अपने–अपने अंश का जमीन निबंधित केवाला संख्या 5102/दिनांक 15.12.2004 द्वारा आवेदक के पास बिक्री की है। उक्त जमीन पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। प्रस्तावित जमीन भुदान, भूहदबंदी, आमखास एवं रेलवे बी क्लास से मुक्त है। अतः आवेदक के नाम से नामान्तरण किया जा सकता है। हल्का कर्मचारी के उक्त प्रतिवेदन को अंचल निरीक्षक के द्वारा सत्यापित एवं अनुशंसित किया गया है। उक्त सत्यापित एवं अनुशंसित प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी द्वारा नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपरोक्त तमाम् स्थिति एवं परिस्थति पर सम्यकरुपेण विचारोपरांत एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट कि वाद में उभय पक्ष के द्वारा परस्पर अभिरुचि नहीं लिया गया है, तथा अपीलार्थी के आवेदन से प्रतीत होता है कि विवाद फर्जी डीड को लेकर है। यह न्यायालय फर्जी डीड की सत्यता पर निर्णय नहीं ले सकता है। अपीलार्थी चाहें तो सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

अतएव वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता
राजमहल।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता,
राजमहल।

Scanned with CamScanner